भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 280
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

दिशा के अंतर्गत पैरा लीगल वालंटियर

280. श्री प्रताप सिंह बाजवा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक, डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया (दिशा) के अंतर्गत कार्यरत पैरा लीगल वालंटियर्स की राज्य-वार संख्या क्या है। (ख) आज तक दिशा के अंतर्गत कानूनी सलाह से राज्य-वार कितने-कितने लोगों को लाभ मिला है ; और

(ग) आज तक दिशा के कारण कानूनी सलाह प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या में राज्य चार कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलेस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया (दिशा), सीमांत वर्ग को उपलब्ध कराई जाने वाली विधिक सहायता की गुणवता में वृद्धि के लिए है । दिशा के अधीन टेली-विधि कार्यक्रम का लक्ष्य फायदाग्राहियों को मुकद्दमापूर्व स्तर पर उन्हें पैनल वकीलों से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से और पंचायत स्तर पर सामान्य सेवा केंद्र (सीएससीएस) पर उपलब्ध टेलीफोन प्रसुविधाओं और प्रत्यक्षत: टेली-विधि मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कनैक्ट करके क्वालिटी विधिक सहायता उपलब्ध करना है । पराविधिक स्वयंसेवी (पीएलवीएस) टेली-विधि कार्यक्रम के अधीन टेली-विधि के प्रयोग हेतु नागरिकों को जमीनी स्तर पर तथा फायदाग्राहियों को परामर्श करने हेतु अपने मामलों को रजिस्टर करने के लिए सीएससी में पहुंच को सुकर बनाने हेतु शिक्षित और जागरूक करने में लगे हुए हैं । 31 दिसंबर, 2021 तक 41,659 पराविधिक स्वयंसेवी टेली-विधि स्कीम के साथ सहयुक्त थे । टेली-विधि के अधीन 12,81,591 नागरिकों को विधिक सहायता का फायदा हुआ था। 01 अप्रैल, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक, 9 मास की अवधि के दौरान, टेली-विधि ने विधिक सहायता प्राप्त करने वाले फायदाग्राहियों की संख्या में 77% की वृद्धि दर्ज की है । राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार उपलब्ध कराई विधिक सलाह के ब्यौरे **उपाबंध क** पर उपलब्ध हैं ।

****

उपाबंध-क

दिशा के अंतर्गत पैरा लीगल वालंटियर के संबंध में श्री प्रताप सिंह बाजवा द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 280 जिसका उत्तर तारीख 03.02.2022 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

31 दिसम्बर, 2021 तक पराविधिक स्वयंसेवियों, मुक्कदमापूर्व सलाह का फायदा लेने वाले लोगों की संख्या और फायदाग्राहियों की संख्या में बृद्धि की प्रतिशतता के राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार आंकड़ो की सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए विवरण ।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	पीएलवीएस की कुल संख्या	सलाह प्राप्त व्यक्ति (31 मार्च, 2021)	सलाह प्राप्त व्यक्ति (31 मार्च, 2021)	सलाह प्राप्त व्यक्तियों की प्रतिशतता में बृद्धि
1.	अंदमान और निकोबार	0	0	27	100%
2.	आंध्र प्रदेश	1119	4646	17670	280%
3.	अरुणाचल प्रदेश	4	1710	1828	7%
4.	असम	2116	67416	94777	41%
5.	बिहार	4090	33256	73280	120%
6.	चंडीगढ़*	0	0	0	0%

7.	छत्तीसगढ़	2734	51044	99797	96%
8.	दादर और नागर हवेली और दमण और दीव	0	0	22	100%
9.	दिल्ली*	0	0	8	100%
10.	गोवा	0	0	36	100%
11.	गुजरात	1710	13650	32477	138%
12.	हरियाणा	2639	10003	19918	99%
13.	हिमाचल प्रदेश	586	3539	13194	273%
14.	जम्मू- कश्मीर	966	57072	77833	36%
15.	झारखंड	2799	71471	126008	76%
16.	कर्नाटक	590	4362	10813	148%
17.	केरल	408	1704	4201	147%
18.	लद्दाख	13	218	514	136%
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0%
20.	मध्य प्रदेश	3980	40049	93604	134%
21.	महाराष्ट्र	2595	54818	102923	88%
22.	मणिपुर	106	722	983	36%
23.	मेघालय	210	14001	17895	28%
24.	मिजोरम	112	778	1744	124%
25.	नागालैंड	114	13884	20147	45%
26.	ओडिशा	1798	43852	64398	47%
27.	पुडुचेरी	8	0	217	100%
28.	पंजाब	1097	14487	26900	86%
29.	राजस्थान	815	9213	25713	179%
30.	सिक्किम	32	380	1377	262%
31.	तमिलनाडु	579	11301	25708	127%
32.	तेलंगाना	676	1341	6372	375%
33.	त्रिपुरा	268	11875	22138	86%
34.	उत्तर प्रदेश	7616	132035	212331	61%
35.	उत्तराखंड	898	10932	27691	153%
36.	पश्चिमी बंगाल	981	42521	59047	39%
	कुल	**41,659**	**7,22,280**	**12,81,591**	**77%**

****